



उच्चतर शिक्षा में शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन

डॉ विजय कुमार

सहायक आचार्य ई. ए .एफ .एम.

राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा

सार

उच्च शिक्षा को वर्तमान समय में शैक्षिक पिरामिड के रूप में माना जाता है। अब छात्रों के पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आसान गुंजाइश है क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय विकास में योगदान दें तो व्यवस्था को खराब होने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। अब सरकार को प्राथमिक शिक्षा के विकास में अधिक से अधिक धन का निवेश करना होगा। सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर खर्च में भारी कटौती इसका प्रत्यक्ष परिणाम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार निजी संस्थानों को विनियमित करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है। इसलिए, कुछ नियामक एजेंसियों का गठन किया जाना है जो गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं और मुनाफाखोरी को रोकती हैं। एक तथ्य यह भी है कि निजी निवेशक संस्थान को घाटे में नहीं चलाएंगे। कम से कम, निजी संस्थानों को वाणिज्यिक होने की अनुमति दी जानी चाहिए यानी उन्हें ब्रेक-ईवन या एक छोटा सा उचित लाभ कमाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

भूमिका

संस्थानों के तेजी से विकास, ज्यादातर निजी, ने योग्यता की सख्त जरूरत वाले छात्रों को आवश्यक राशि का भुगतान करने और उन्हें हासिल करने का प्रयास करने की अनुमति दी है।

इससे पहले, उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी इंजीनियरिंग, प्रबंधन और चिकित्सा जैसे अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में रही है। हालांकि, बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा में भारी निवेश करने में सरकार की अक्षमता ने इस क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए क्षेत्र को खुला छोड़ दिया है। अधिकांश निजी संस्थानों को सरकार से सहायता नहीं मिलती है, जबकि विश्वविद्यालय



अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुदान का 52 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जाता है, जो एक लाख से कम छात्रों को पूरा करता है।

भारत में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लगभग 60 प्रतिशत से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान निजी संस्थान हैं जिनमें लगभग 60 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं। निजी संस्थान एक छतरी के नीचे सभी स्नातक पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, पत्रकारिता, कानून, और कला और डिजाइन जैसे विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियामक ढांचे को सरल बनाया है।

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद छात्रों के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। हालांकि, चीन के विपरीत, भारत को उच्च शिक्षा और शोध की प्राथमिक भाषा होने का फायदा है। चीन में 20 प्रतिशत की तुलना में भारत अपने लगभग 11 प्रतिशत युवाओं को उच्च शिक्षा में शिक्षित करता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यह मानव विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में उच्च शिक्षा ने अभूतपूर्व विस्तार का अनुभव किया है। भारत ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों, डॉक्टरों, शिक्षकों और प्रबंधकों का उत्पादन किया है जिनकी पूरी दुनिया में बहुत मांग है। अब यह हमारी औद्योगिक और तकनीकी क्षमता में शीर्ष दस देशों में से एक है, क्योंकि उच्च शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा द्वारा प्रदान किए गए जनशक्ति और उपकरणों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण। भारत पहले ही ज्ञान विस्फोट के युग में प्रवेश कर चुका है। इसने परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन से अपनी जबरदस्त क्षमता को साबित किया है।

वर्तमान में निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो उच्च शिक्षा तक पहुंच को संबोधित कर रहा है। इन निजी विश्वविद्यालयों का दुनिया भर में ऑफ कैंपस है। सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और आत्मसात करने के लिए संकायों को दुनिया भर में जाने का अवसर मिलता है। उनके पास एयर कंडीशनर क्लास रूम, हाई टेक लैब और विशाल परिसर क्षेत्र है। वे विश्व स्तरीय कंपनियों में प्लेसमेंट



प्रदान करते हैं। वे व्यावहारिक आधारित, उद्योग उन्मुख शिक्षा पढ़ाते हैं और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवीन शिक्षण विधियों को लागू करते हैं।

निजी प्रदाता आमतौर पर एक लाभ के उद्देश्य से संचालित होते हैं, लेकिन वर्षों से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों की प्रकृति को धर्मार्थ माना है न कि लाभ के लिए। इसलिए, शिक्षा प्रदान करके अलौकिक या अवैध लाभ नहीं कमाया जा सकता है। यदि राजस्व अधिशेष उत्पन्न होता है तो इसका उपयोग शिक्षण संस्थान द्वारा अपने विस्तार और शिक्षा विकास के उद्देश्य के लिए किया जाना है।

अतीत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को अपने प्रशासन में पूर्ण स्वायत्तता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि योग्यता के सिद्धांत की बलि नहीं दी जानी चाहिए, यानी छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता या योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। एक निजी संस्थान का प्रबंधन योग्यता आधारित प्रवेश की परीक्षा को संतुष्ट करने के अधीन, छात्रों को प्रवेश देने में कोटा के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब था कि सरकार एक निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान पर अपनी आरक्षण नीति को अनिवार्य नहीं कर सकती थी। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) आदि के लिए सकारात्मक कार्रवाई है। इन संस्थानों में आरक्षण को अस्वीकार करने का औचित्य प्रवेश प्रक्रियाओं आदि के निर्धारण में उनके अधिकार और स्वायत्तता का अतिक्रमण था। ऐसा आरक्षण संस्था और सरकार द्वारा परस्पर निर्णय लेने पर ही संभव था।

अनुसंधान कार्य

भारतीय उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका पिछले एक दशक में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जिसमें अधिकांश छात्र वर्तमान में निजी संस्थानों में नामांकित हैं। यह शिक्षा में भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की कुंजी है। यह भूमिका केवल इस क्षेत्र में आवश्यक पर्याप्त निवेश को देखते हुए बढ़ेगी। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली ने पिछले दशक में दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बनने के लिए



प्रभावशाली वृद्धि का प्रदर्शन किया है और अगले पांच वर्षों में यू.एस. और अगले 15 वर्षों में चीन को उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी प्रणाली बनने की संभावना है। दुनिया।

संस्थानों और छात्र नामांकन की संख्या के मामले में निजी क्षेत्र का आकार सार्वजनिक क्षेत्र से लगभग दोगुना है। भारत में उच्च शिक्षा के 31,000 से अधिक संस्थान हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल सात प्रतिशत, राज्य विश्वविद्यालयों में 46 प्रतिशत और राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में 16 प्रतिशत शामिल हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय, 21 प्रतिशत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, कुल का लगभग नौ प्रतिशत। कुल मिलाकर, देश में संस्थानों की संख्या 11 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

उच्चतर शिक्षा में शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन

शिक्षा एक ऐसा निवेश है जो न केवल देश की मानवपूंजी का निर्माण करता है अपितु एक राष्ट्र को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शिक्षा में उपयोग न केवल राष्ट्र को नवाचारी बनाता है अपितु शैक्षिक दृष्टि से उन्नयन कर देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से न केवल अधिगम की संस्थितियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है अपितु शिक्षण प्रक्रिया सुगम एवं सरल हो जाती हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से छात्रों के लिए भी ई-पुस्तकें, परीक्षा के नमूने वाले प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, संसाधन व्यक्तियों से संपर्क की सरलता, शोधकर्ताओं आदि से सम्पर्क भी आसान हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि डिजिटल अधिगम्यता को संभव बनाना जिसके कारण छात्र अपने समय एवं सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ सकते हैं।

साथ ही साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा आपूर्ति यथा रेडियो, कम्प्यूटर, टेलीविजन आदि के माध्यम से सीखने वाले एवं अनुदेशक की एक भौतिक मशीन पर होने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सबसे बड़े शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग करने की शुरुआत हुई है इसने एक त्रुटिहीन प्रेरक साधन के रूप में कार्य किया है इसमें वीडियो,



टेलीविजन, मल्टीमीडिया कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है जिसमें दृश्य एवं श्रव्य दोनो प्रकार समाहित हैं।

अतएव स्पेन्सर के शब्दों पर ध्यान देते हैं तो 'शिक्षा शरीर के अवयवों की उन्नति करती है तथा उन्हें जीवन के योग्य बनाती है।' अभिप्रेरणा यही है कि शिक्षा द्वारा मानव शरीर का इस प्रकार अनुकूलन, प्रशिक्षण तथा समायोजन किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप जीवन को समग्रता के साथ जिया जा सके। शिक्षा जीवन को परिपूर्णता के साथ जीने का माध्यम है।

इसी प्रकार भारतीय दर्शन में भी शिक्षा दर्शनों का विवेचन किया गया है। भारतीय दर्शनों में भी जीवन को समग्र दर्शन से देखने की वृत्ति रही है। भारतीय दर्शन के आलोक में शिक्षा जीवन का एकऐसा अध्यवसाय "जिसके द्वारा जीवन के आदर्श एवं मूल्यों को प्राप्त किया जाता है।

भारतीय शिक्षा दर्शन का प्रारम्भिक काल वैदिक युग से माना जा सकता है जिसमें श्रीमद्भगवद्गीता का दर्शन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा दर्शन की दृष्टिसे भगवद्गीता अमूल्य निधि है। इसमें सभी प्रचलित मान्यताओं तथा सिद्धांतों का समाहार मिलता है। गीता के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को उस अज्ञान से मुक्त करना है जो भेद उत्पन्न करने वाला है तथा आत्मानुभूति में बाधक है। शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों का सुन्दर विवेचन गीता में मिलता है वस्तुतः गीता के उद्देश्य केवल विद्यालयी शिक्षा तक सीमित नहीं है अपितु शिक्षा के कारण मनुष्य वर्तमान को अपूर्ण मानने लगता है वह उस अपूर्णता से ऊपर उठकर पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगता है। यही प्रगति का द्योतक है।

भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास है। भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा में शिक्षा की जगह और उसकी भूमिका को भी निरन्तर विकासशील पाते हैं। सूत्रकाल तथा लोकायत के बीच शिक्षा की सार्वजनिक प्रणाली के पश्चात् जैन एवं बौद्ध शिक्षा दर्शन में स्त्रियों एवं समाज के पिछड़े तबके को भी शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है।

भारत में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार किया गया है इसमें शिक्षा द्वारा नवाचारों को प्रोत्साहित करने की बात हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा इंसान को बंधनों से मुक्त करे और उसे सक्षम बनाए। इसमें इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा



है कि शिक्षा रट्टा मारने वाली परम्परा से मुक्त हो। जिसमें शिक्षा को स्कूल की चारदीवारी के बाहर की दुनिया से जोड़ने की बात कही गयी है। इस नीति के बनने की प्रक्रिया में ब्लॉक और जिला स्तर से विचारों को आमंत्रित किया गया। इसके आलोचकों का कहना है कि केवल आम लोगों की राय के आधार पर किसी देश की शिक्षा नीति का निधरण नहीं किया जा सकता है, इसके लिए विशेषज्ञों की राय को भी महत्व देना चाहिए। काफी लम्बे समय तक नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जारी न होने के कारण भी असमंजस वाली स्थिति भी कायम थी। इसके कारण अखबारों में ड्राफ्ट के मुख्य बिन्दुओं के सार्वजनिक होने की खबरें छपी।

नई शिक्षा नीति के सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च करने, पांचवीं के बाद बच्चों को फेल करने, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश को बढ़ावा देने और प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम की भाषा के रूप में मातृभाषा (या क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा) को महत्व देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक आयोग बनाने की भी बात कही गई है, जिसका काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मदद करना होगा।

किसी देश का सामाजिक-आर्थिक विकास उसकी शिक्षा प्रणाली से सीधा जुड़ा होता है। हमारा देश निजी शिक्षण संस्थानों की उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वे बड़ी संख्या में आकर्षित करते हैं। छात्रों की। अच्छे निजी विश्वविद्यालयों को विकसित होने और अत्यधिक कुशल और पेशेवर मानव शक्ति के निर्माण के विशाल कार्य में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

मात्रात्मक विस्तार के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना महत्वपूर्ण है। प्रत्यायन संस्थानों की ऐसी गुणवत्ता को मापने का एक तरीका है। यह उन संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करने की प्रक्रिया है जिन्हें कुछ निर्धारित मापदंडों के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष



शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक अधिगम अर्थात् सीखने की प्रक्रिया माँ के गर्भ काल से ही प्रारम्भ हो जाती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में भी साक्ष्य मिलते हैं कि अधिगम का आरम्भ गर्भावस्था से ही हो जाता है एवं वर्तमान शिक्षाविद् एवं वैज्ञानिक भी इस तथ्य को प्रामाणित करते हैं। भारत में पिछले कई दशकों से प्रौद्योगिकी ने हर संभव मार्ग से हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र स्वास्थ्य, कृषि आदि के समान शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सज्जित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना आज के समय की मूलभूत आवश्यकता है।

संदर्भ

- 265वीं रिपोर्टर् उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांग 2015–16 (मांग संख्या 60 मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति अप्रैल 23 2015।
- उच्च शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग व्यय बजट।
- एक नजर में शिक्षा 2020 आर्थिक सहयोग और विकास संकेतकों के लिए संगठन 2010।
- उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (अनंतिम) मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2015।
- उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नवंबर 2020
- प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। 2019 की रिट याचिका (सिविल) 416।
- भारतीय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद